फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती झमकु **विपक्षी : श्रीमती लक्ष्मी**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 145/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 09.03.2021

पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 व 3 जा.दी. का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 6 उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 व 3 जा.दी. पेश कर प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्व वाद को विड्रो किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं. 6 के मध्य आपसी राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी सं. 6 के तर्क सुने। वादीगण द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 6 खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 6 के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका हैं। राजीनामा अनुसार वादीगण ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 अमृतलाल के पक्ष में त्याग कर दिया हैं। भविष्य में अपने हिस्से बाबत् कोई उजर एतराज नहीं करने पर पाबंद हुए हैं। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्व कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 6 के मध्य हुए राजीनामे अनुसार वादीगण अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में त्याग कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने पर सहमत हैं। अतः वादीगण का वाद आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर योग्य पाया जाता हैं।

आदेश

परिणामस्वरूप वाद वादीगण आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आराजी न. 3329, 3331 किता 2 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 3477, 3485, 3493, 3494 किता 4 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3476, 3478, 3486, 3492, 3495, 3496, 3498, 3499 किता 8 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 3327, 3328 किता 2 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 3941 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 4630/3941 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 3945, 3947, 3950, 4651/3946 किता 4 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 3940, रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 4647/3944, 4648/3945, 4649/3946, 4650/3950 किता 4 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3943, 3944, 3946 किता 3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 4658/3943, 4659/3944, 4660/3945 किता 3 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 4628/3941 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 4629/3941 रकबा 6 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4626/3940, 4627/3941 किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि में वादीगण झमकु एवं भमरी द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 अमृतलाल के पक्ष में हक त्याग करने से एवं आपसी राजीनामा अनुसार वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहेगें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

(मयंक मनीष, IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:40 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO)मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती झमकु पुत्री नाथु पत्नी रता मेघवाल निवासी खेमली हाल करगेट तह. गिर्वा।
2. श्रीमती भमरी पुत्री नाथु पत्नी मांगीलाल मेघवाल निवासी खेमली हाल भल्ला का गुडा तह. गिर्वा।

..................वादीगण

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. बाबुडा मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
2. श्री रोशन पिता स्व. बाबुडा मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
3. श्री तरूण पिता स्व. बाबुडा मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
4. जशोदा पिता स्व. बाबुडा मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
5. श्रीमती गीता पुत्री नाथु पत्नी तेजराम मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
6. श्री अमृतलाल पिता लालुलाल खटीक निवासी मेडता तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का खेमली तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 145/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00301

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधिनियम का आपसी राजीनामें अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आराजी न. 3329, 3331 किता 2 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 3477, 3485, 3493, 3494 किता 4 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3476, 3478, 3486, 3492, 3495, 3496, 3498, 3499 किता 8 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 3327, 3328 किता 2 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 3941 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 4630/3941 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 3945, 3947, 3950, 4651/3946 किता 4 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 3940, रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 4647/3944, 4648/3945, 4649/3946, 4650/3950 किता 4 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3943, 3944, 3946 किता 3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 4658/3943, 4659/3944, 4660/3945 किता 3 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 4628/3941 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 4629/3941 रकबा 6 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4626/3940, 4627/3941 किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि में वादीगण झमकु एवं भमरी द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 अमृतलाल के पक्ष में हक त्याग करने से एवं आपसी राजीनामा अनुसार वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से तारीख 09.03.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:36:40 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती झमकु **विपक्षी : श्रीमती लक्ष्मी**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 145/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 16.03.2021

पत्रावली अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा.दी. का पेश करने पर तलब की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 152 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में राजीनामा अनुसार आराजी नम्बर 3327 व 3328 का अंकन नहीं किया गया जो डिक्री में अंकन हो गया, जिसे हटाया जाना एवं आराजी नम्बर 4652/3945, 4653/3947, 4654/3950, 4655/3951, 4656/3946, 4657/3948 किता 6 रकबा 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4558/3954 रकबा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में रहेगी। यह अंकन रह जाने से डिक्री में अंकन किया जाने का निवेदन किया हैं।

हमने पत्रावली में उपलब्ध राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया। राजीनामें में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का स्पष्ट उल्लेख है जिसका अंकन डिक्री में किया हुआ नहीं हैं। वादपत्र के अवलोकन से वादपत्र में वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात का कोई अंकन किया हुआ नहीं हैं। अतः जब वादीगण की दाद ही आराजीयात बाबत् नहीं है तो राजीनामें के आधार पर इन आराजीयात बाबत् किसी प्रकार की दाद पक्षकारों को नहीं दी जा सकती हैं। रहा प्रश्न आराजी नम्बर 3327 व 3328 हटाने का वाद में अंकित हैं परन्तु राजीनामें में इस आराजीयात बाबत् कोई दाद नहीं चाहने से इसको डिक्री से हटाई जा सकता हैं। मूल वाद के अवलोकन से परिशिष्ट 5 से 14 मौजा राणावतों का गुडा होने से इसका अंकन निर्णय एवं डिक्री में किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 152 जा.दी. का आंशिक स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री में आराजी नम्बर 3327 व 3328 को हटाये जाने एवं परिशिष्ट 5 की आराजी नम्बर 3941 से पूर्व मौजा राणावतों का गुडा पटवार हल्का खेमली का अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। संशोधित डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:40 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO)मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती झमकु पुत्री नाथु पत्नी रता मेघवाल निवासी खेमली हाल करगेट तह. गिर्वा।
2. श्रीमती भमरी पुत्री नाथु पत्नी मांगीलाल मेघवाल निवासी खेमली हाल भल्ला का गुडा तह. गिर्वा।

..................वादीगण

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. बाबुडा मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
2. श्री रोशन पिता स्व. बाबुडा मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
3. श्री तरूण पिता स्व. बाबुडा मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
4. जशोदा पिता स्व. बाबुडा मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
5. श्रीमती गीता पुत्री नाथु पत्नी तेजराम मेघवाल निवासी खेमली तह. मावली।
6. श्री अमृतलाल पिता लालुलाल खटीक निवासी मेडता तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का खेमली तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 145/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00301

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्वायलह पेश होकर दिनांक 09.03.2021 को वाद में डिक्री दी गई जिसमें दिनांक 16.03.2021 को हुक्म दिया जाता है व संशोधित डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधिनियम का आपसी राजीनामें अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली की आराजी न. 3329, 3331 किता 2 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 3477, 3485, 3493, 3494 किता 4 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3476, 3478, 3486, 3492, 3495, 3496, 3498, 3499 किता 8 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, एवं मौजा राणावतों का गुडा पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3941 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 4630/3941 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 3945, 3947, 3950, 4651/3946 किता 4 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 3940, रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 4647/3944, 4648/3945, 4649/3946, 4650/3950 किता 4 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3943, 3944, 3946 किता 3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 4658/3943, 4659/3944, 4660/3945 किता 3 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 4628/3941 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 4629/3941 रकबा 6 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4626/3940, 4627/3941 किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि में वादीगण झमकु एवं भमरी द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 अमृतलाल के पक्ष में हक त्याग करने से एवं आपसी राजीनामा अनुस[illegible] से पाबंद रहेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.03.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:40 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली